



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 5, 2004/फाल्गुन 15, 1925

No. 116]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 5, 2004/PHALGUNA 15, 1925

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2004

भारत गणराज्य की सरकार और तुर्की गणराज्य की सरकार के बीच प्रत्यर्पण करार

सा.का.नि. 174(अ).—जबकि भारत गणराज्य की सरकार और तुर्की गणराज्य की सरकार के बीच प्रत्यर्पण करार पर अंकारा, तुर्की में 29 जून, 2001 को हस्ताक्षर हुए थे; और अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान भी 18 सितम्बर, 2003 को अंकारा, तुर्की में हुआ था तथा करार में निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है :—

भारत सरकार गणराज्य की सरकार और तुर्की गणराज्य की सरकार (जिन्हें इसमें इसके बाद "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है);

प्रत्यर्पण करार द्वारा अपराधों का दमन करके दोनों देशों के बीच सहयोग को और प्रभावी बनाने के इच्छा से ;

निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद - एक प्रत्यर्पण का दायित्व

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इस संधि में निर्दिष्ट परिस्थितियों और शर्तों के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को दूसरे पक्ष को प्रत्यर्पित करेगा जो अनुच्छेद दो के अनुसार ऐसे प्रत्यर्पण अपराध के लिए दोषी अथवा

सिद्धादोषी हो जिस अपराध को एक राज्य के क्षेत्र में करके दूसरे राज्य के क्षेत्र में पाया गया हो चाहे वह अपराध इस संधि के लागू होने से पहले अथवा बाद में किया गया हो ।

2. इस संधि के अनुच्छेद दो में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे प्रत्यर्पणीय अपराध के मामले में भी प्रत्यर्पण किया जा सकता है जो अनुरोधकर्ता पक्ष के क्षेत्र से बाहर किया गया है, किंतु जिसके संबंध में उसका क्षेत्राधिकार है, बशर्ते अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष समान परिस्थितियों में, ऐसे अपराध का क्षेत्राधिकार हो । ऐसी परिस्थितियों में अनुरोधकर्ता, पक्ष अपराध की गंभीरता सहित सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा ।

3. जब अनुरोधकर्ता पक्ष के राज्य के बाहर अपराध किया गया है, अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष इस करार में इन दोनों में एक उपबंध के आधार पर प्रत्यर्पण करेगा

(क) अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के कानून में समान परिस्थितियों में ऐसे अपराध के लिए सजा दी जाती हो; अथवा

(ख) अनुरोधकर्ता पक्ष के राष्ट्रिक ने अपराध किया हो और उनके मिशनों के अनुसार उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाने का उस पक्ष का क्षेत्राधिकार हो ।

अनुच्छेद दो प्रत्यर्पण अपराध

1. अनुरोधकर्ता पक्ष और अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के कानून के अनुसार सजा योग्य अपराध के मामले में, कम से कम एक वर्ष की अवधि तक स्वतंत्रता का हनन अथवा अत्यधिक गम्भीर जुर्माना करके प्रत्यर्पण किया जाएगा । जहां अभियोग और सजा अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र में होगी, वहां दी गई सजा की अवधि कम से कम छह माह की होनी चाहिए ।

2. यदि प्रत्यर्पण के अनुरोध में कई अलग-अलग ऐसे अपराध शामिल हैं जिसमें प्रत्येक का दण्ड अनुरोधकर्ता पक्ष और अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के कानूनों के अनुसार स्वतंत्रता का हनन हो, परन्तु जिनमें से कुछ दी जाने योग्य सजा की अवधि को पूरा नहीं करते हो, तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष को बाद के अपराधों के लिए प्रत्यर्पण की मंजूरी प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होगा ।

अनुच्छेद - तीन
प्रत्यर्पण और मुकदमा चलाना

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा प्रत्यर्पण के लिए इंकार किया जा सकता है यदि उस व्यक्ति पर जिसका प्रत्यर्पण मांगा गया है, उस पक्ष के न्यायालय में प्रत्यर्पण अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।
2. जहां अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष इस अनुच्छेद के पैराग्राफ एक में बताए गए कारण से प्रत्यर्पण के लिए इंकार कर सकता है, अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष इस मामले को अपने सक्षम प्राधिकारियों को सौंप सकता है ताकि मुकदमा चलाने पर विचार किया जा सके। ये प्राधिकारी इस मामले पर उसी प्रकार अपना निर्णय देंगे जैसा उस पक्ष के कानून के अनुसार किसी गम्भीर प्रकार के मामले में लिया गया है।
3. यदि सक्षम प्राधिकारी ऐसे मामले में मुकदमा न चलाने का निर्णय लेते हैं तो इस कसर के अनुसार प्रत्यर्पण के लिए पुनर्विचार का अनुरोध किया जाएगा।

अनुच्छेद - चार
प्रत्यर्पण से इंकार करने के आधार

ऐसे व्यक्ति को प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा, यदि :

1. प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए सिद्धदोष पाया गया हो अथवा छह महीने या उससे अधिक की सजा या किसी अन्य कारण से नजरबंद किया गया हो।

2. जिस अपराध के लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है उसके लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के क्षेत्र में उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया हो तो वह पिछड़ी रिहाई अथवा दोषसिद्धि से संबंधित अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के किसी भी विधि सम्मत शासन के अंतर्गत रिहाई का हकदार होगा ।

3. वह पूर्व में दोषी ठहराया गया हो या तीसरे राज्य में उस अपराध के लिए जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है दोषमुक्त कर दिया गया हो ।

अनुच्छेद - पांच
राजनैतिक अपराध

1. ऐसे मामलों में प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा यदि जिस मामले में प्रत्यर्पण मांगा जा रहा है अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य उसे राजनैतिक अपराध माने ।

2. इस करार के मामले में निम्नलिखित अपराधों को राजनैतिक अपराध नहीं माना जाएगा :

(क) हेग में 16 दिसम्बर, 1970 को हस्ताक्षरित हवाई जहाज के गैर कानूनी तरीके से रोकने संबंधी अभिसमय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किया गया अपराध ;

(ख) मन्ट्रियल में 23 सितम्बर, 1971 को हस्ताक्षरित नागर विमानन सुरक्षा के विरुद्ध गैरकानूनी कार्रवाईयों को रोकने के लिए अभिसमय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किया गया अपराध;

(ग) न्यूयार्क में 14 दिसम्बर, 1973 को हस्ताक्षरित राजनयिक एजेन्टो सहित अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और सजा के संबंध में अभिसमय के क्षेत्राधिकार में किया गया अपराध ;

(घ) 18 दिसम्बर, 1979 को न्यूयार्क में हस्ताक्षरित बन्धक बनाने के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के क्षेत्राधिकार में किया गया अपराध ;

(ङ) हत्या ;

(च) राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य की जान लेना अथवा जान लेने की कोशिश करना ;

(छ) जनसंहार तथा आपराधिक मानव वध ;

- (ज) हिंसात्मक हमले में वास्तविक शारीरिक हानि अथवा चोट पहुँचाना, दुर्भावना पूर्वक घायल करना अथवा गम्भीर शारीरिक चोट पहुँचाना चाहे वह किसी हथियार से हो, खतरनाक पदार्थों से अथवा किसी अन्य तरीके से ;
- (झ) जान लेने अथवा सम्पत्ति को भारी नुकसान पहुँचाने के लिए विस्फोट ;
- (ञ) किसी व्यक्ति द्वारा विस्फोटक बनाना अथवा अपने पास रखना जो स्वयं अथवा किसी व्यक्ति द्वारा जान अथवा सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना चाहता है ;
- (ट) किसी व्यक्ति द्वारा हथियार रखना या गोलाबारूद रखना जो स्वयं अथवा दूसरे व्यक्ति द्वारा जान को नुकसान पहुँचाना चाहता है ;
- (ठ) किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं को अथवा दूसरे व्यक्ति को पकड़े जाने पर हथियार का इस्तेमाल करना ;
- (ड) सम्पत्ति को नुकसान, चाहे जन सामान्य के उपयोग की हो अथवा किसी की जान लेने के उद्देश्य से किया गया प्रयास हो अथवा ऐसा करके किसी की जान को नुकसान पहुँचाने का अंदेशा हो ;
- (ढ) अगवा/अपहरण, झूठी कैद अथवा गैरकानूनी नज़रबन्दी जिसमें बन्धक बनाना भी शामिल है ;
- (ण) हत्या के लिए उकसाना ;
- (त) आतंकवाद से सम्बद्ध कोई अन्य अपराध जो अनुरोध के समय अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून के अन्तर्गत राजनैतिक अपराध नहीं समझे जाते ;
- (थ) किसी ऐसे अपराध करने की साजिश में शामिल होना अथवा ऐसे व्यक्ति का साथ देना जो ऐसे अपराध करने का प्रयत्न करता है ;

3. यह अनुच्छेद किन्हीं उन बाध्यताओं को प्रभावित नहीं करेगा जिनके प्रति संविदाकारी राज्य वचनबद्ध हो अथवा जिनके प्रति ये किसी बहुपक्षीय प्रकृति के किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अधीन वचनबद्ध हो सकते हों ।

अनुच्छेद - छः
सैन्य अपराध

सैन्य कानून के अन्तर्गत उन अपराधों के लिए प्रत्यर्पण को इस करार के अनुप्रयोग से अलग रखा गया है जिन्हें साधारण फौजदारी कानून के अन्तर्गत अपराध नहीं माना जाता है।

अनुच्छेद - सात
राजकोषीय अपराध

इस करार के उपबंधों के अनुसार कर, शुल्क सीमा शुल्क और विदेशी मुद्रा सहित राजकोषीय किस्म के अपराधों के लिए प्रत्यर्पण किया जाएगा।

अनुच्छेद - आठ
राष्ट्रियों का प्रत्यर्पण

1. संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिक दूसरे संविदाकारी पक्ष को प्रत्यर्पित नहीं किए जाएंगे बशर्ते कि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अपने सक्षम प्राधिकारियों के पास मामले को कार्रवाई के लिए भेजे, यदि उस कार्यको अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून द्वारा भी अपराध माना जाता है।

2. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अपने राष्ट्रिकों को प्रत्यर्पित नहीं करता है, तो वह अनुरोधकर्ता राज्य के अनुरोध पर उस मुकदमे को अपने सक्षम प्राधिकारियों के सक्षम इस आशय से प्रस्तुत करेगा कि कार्यवाहियां चलाई जाएं यदि वे उपयुक्त समझें। इस प्रयोजन के लिए, अपराध से संबद्ध फाईलों, सूचना और प्रदर्श अनुच्छेद 14 में दिए गए तरीकों द्वारा बिना प्रभार के संप्रेषित करेगा। अनुरोधकर्ता राज्य को उसके अनुरोध के परिणामों के बारे में सूचित किया जाएगा।

अनुच्छेद - नौ
अपराध करने का स्थान

जब वह अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, अनुरोधकर्ता राज्य के प्रदेश के बाहर किया गया है, प्रत्यर्पण से मात्र तभी इंकार किया जा सकता है यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य की विधि उच्च श्रेणी के अपराध के लिए अभियोजन की अनुमति नहीं देती है जब अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के प्रदेश से बाहर किया गया हो अथवा इस करार के प्रावधानों की अनुमति नहीं देता है।

अनुच्छेद - दस
उन्हीं अपराधों के लिए लम्बित कार्यवाहिया

अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य वांछित व्यक्तियों को प्रत्यर्पित करने से इंकार कर सकता है यदि उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी पहले ही उस अपराध या अपराधों के संबंध में उसके विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है जिनके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है ।

अनुच्छेद - ग्यारह
दो बार दण्डित किया जाना

प्रत्यर्पण की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि अन्तिम निर्णय उस अपराध या अपराधों जिनके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, वांछित व्यक्ति के संबंध में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पारित कर दिया गया हो । प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारियों ने उस अपराध अथवा अपराधों के संबंध में या तो कार्यवाहियां नहीं चलाने अथवा समाप्त करने का निर्णय कर लिया हो ।

अनुच्छेद - बारह
समय की समाप्ति

प्रत्यर्पण की अनुमति उस समय नहीं दी जाएगी जब वांछित व्यक्ति, अनुरोधकर्ता राज्य की विधि के अनुसार अभियोजन अथवा दण्ड से समय की समाप्ति के कारण उन्मुक्त हो गया हो ।

अनुच्छेद - तेरह
मृत्यु दण्ड

यदि अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है अनुरोधकर्ता राज्य की विधि के तहत मृत्यु दण्ड है, और यदि इस प्रकार के अपराध के संबंध में अनुरोधकर्ता राज्य की विधि में मृत्यु दण्ड का प्रावधान नहीं है अथवा सामान्यतः निष्पादित नहीं किया जाता है, प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है बशर्ते कि अनुरोधकर्ता राज्य इस प्रकार का आश्वासन देता है जिसे अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य पर्याप्त मानता है कि मृत्यु दण्ड निष्पादित नहीं किया जाएगा ।

अनुच्छेद - चौदह
अनुरोध और समर्थक दस्तावेज

1. इस करार के तहत प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध राजनयिक माध्यमों के जरिए किया जाएगा। दोनों राज्यों के बीच परस्पर परामर्श के पश्चात संचार के अन्य साधनों का भी उपयोग किया जा सकता है।
2. अनुरोध के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होंगे :-
 - (क) दोषसिद्धि और सजा अथवा गिरफ्तारी के वारन्ट या अन्य आदेश जिसका आशय समान हो और जो अनुरोधकर्ता राज्य की विधि में निर्धारित क्रिया-विधि के अनुसार जारी किया गया हो, आदेश की मूल अथवा सत्यापित प्रति।
 - (ख) उन अपराधों का विवरण जिनके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, उनके किए जाने का समय और स्थान, उनका विधिक वर्णन और संगत विधिक प्रावधानों का संदर्भ।
 - (ग) अपराधों पर लागू संगत विधिक प्रावधानों की एक प्रति।
 - (घ) वांछित व्यक्ति का यथासंभव सही हुलिया, जिसके साथ उसका फोटो, उंगियों के निशान, पासपोर्ट विवरण इत्यादि जैसी कोई अन्य उपलब्ध सूचना जो उसकी पहचान और राष्ट्रीयता स्थापित करने में सहायक हो।
3. यदि अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा संप्रेषित सूचना अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को कोई निर्णय करने के लिए अनुमति देने के संबंध में अपर्याप्त पायी जाती है अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य आवश्यक पूरक सूचना के लिए अनुरोध कर सकता है, जिसे अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा। यह समय सीमा परस्पर सहमति से वैध कारणों से बढ़ाई जा सकती है।

अनुच्छेद - पन्द्रह

साक्ष्य

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के प्राधिकारी, प्रत्यर्पण संबंधी किन्हीं कार्यवाहियों में, शपथपूर्वक या प्रतिज्ञानपूर्वक दिया गया कोई साक्ष्य, कोई वारन्ट और कोई प्रमाण-पत्र या किसी दोषसिद्धि के तथ्यों का उल्लेख करने वाला कोई न्यायिक दस्तावेज साक्ष्य के रूप में स्वीकार करेंगे यदि वह सत्यापित है :
 - (क)(i) अनुरोधकर्ता राज्य के जज, मजिस्ट्रेट अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा वारन्ट पर हस्ताक्षर किए जाने अथवा किसी मूल दस्तावेज को प्रमाणित किए जाने की स्थिति में ; और

(ii) या तो किसी गवाह की शपथ द्वारा अथवा अनुरोधकर्ता राज्य के उपयुक्त मंत्री की सरकारी मोहर द्वारा सील करके ; या

(ख) किसी अन्य ऐसे तरीके से जैसा की अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य की विधि द्वारा अनुमत्त से।

2. पैराग्राफ (i) में विधारित साक्ष्य, चाहे वे अनुरोधकर्ता राज्य अथवा किसी तीसरे राज्य में शपथ के रूप में अथवा पुष्टि के रूप में हों, अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य की प्रत्यर्पण कार्यवाहियों में ग्राह्य होंगे ।

अनुच्छेद - सोलह विशिष्टता का नियम

1. जिस व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया गया है उस व्यक्ति पर उस अपराध जिसके लिए उसे प्रत्यर्पित किया गया है से इतर उसे सौंपे जाने से पूर्व किसी अन्य किए गए अपराध के लिए सजा देने अथवा बन्दी आदेश के उद्देश्य से कार्यवाही नहीं की जाएगी, सजा नहीं दी जाएगी अथवा बन्दी नहीं नही बनाया जाएगा और न ही निम्नलिखित मामलों को छोड़ कर किसी अन्य कारण से उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाएगा : -

(क) जब वह राज्य ऐसा करने के लिए अपनी सहमति देता है जिसने उस व्यक्ति को सौंपा है । सहमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध पत्र के साथ अनुच्छेद चौदह में वर्णित दस्तावेज तथा संबंधित अपराध के बारे में प्रत्यर्पित व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी बयान का वैध रिकार्ड भेजा जाएगा । इस संधि के प्रावधानों के अनुसार प्रत्यर्पण के अध्यक्षीन उस अपराध के लिए जब सहमति देने का अनुरोध किया जाएगा, यह सहमति प्रदान की जाएगी;

(ख) जब किसी व्यक्ति ने उस राज्य, जहाँ उसे सौंपा गया था, के क्षेत्र को छोड़ने का अवसर देने पर भी उसने अपने अंतिम रूप से मुक्त किए जाने के 45 दिनों के भीतर ऐसा नहीं किया हो अथवा वह उस क्षेत्र को छोड़ने के बाद लौट आया हो ;

(ग) उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण प्राप्त करने के प्रयोजन से तथ्यों द्वारा वह अपराध प्रत्यर्पण अपराध से छोटा हो ।

2. जब मुकदमा चलाने की प्रक्रिया के दौरान अपराध के आरोप के विवरण में परिवर्तन किया जाता है, प्रत्यर्पित व्यक्ति के विरुद्ध अपराध के तत्वों से बने विवरण के अनुसार उस अपराध के लिए कार्यवाही की जाएगी अथवा सजा दी जायेगी जिसके लिए प्रत्यर्पण की अनुमति दी जायेगी ।

अनुच्छेद सत्रह
तीसरे राज्य को पुनः प्रत्यर्पण

अनुच्छेद सोलह पैराग्राफ 1 (ख) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य की अनुमति के बिना अनुरोधकर्ता राज्य उसे सौंपे गए तथा उसके समर्पण से पूर्व किए गए अपराधों के संबंध में तीसरे राज्य द्वारा मांगे गए व्यक्ति को तीसरे राज्य को नहीं सौंपेगा। अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अनुच्छेद चौदह में वर्णित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकता है।

अनुच्छेद अठारह
अनन्तिम गिरफ्तारी

1. तात्कालिकता की स्थिति में अनुरोधकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी अपेक्षित व्यक्ति की अनन्तिम गिरफ्तारी का अनुरोध कर सकते हैं। अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी अपनी विधि के अनुसार मामले को निपटाएगा।
2. अनन्तिम गिरफ्तारी के अनुरोध में यह बताया जाएगा कि अनुच्छेद चौदह के पैरा 2 (क) में वर्णित दस्तावेजों में एक दस्तावेज विद्यमान है और यह कि उसकी प्रत्यर्पण का अनुरोध भेजने की मंशा है। यह भी बताया जाएगा कि किस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जाएगा तथा कब और कहां यह अपराध किया गया तथा, जहां तक संभव होगा, अपेक्षित व्यक्ति का विवरण दिया जाएगा।
3. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनन्तिम गिरफ्तारी का अनुरोध या तो राजनयिक माध्यम द्वारा अथवा सीधे डाक अथवा टेलीग्राफ द्वारा अथवा अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) के माध्यम से अथवा किसी अन्य माध्यम से लिखित रूप में साक्ष्य देते हुए भेजेगा अथवा संविदाकारी राज्यों द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
4. अनुरोधकर्ता राज्य के प्राधिकारियों को बिना देरी के उनके अनुरोध पर की गई कार्यवाही के परिणामों के बारे में बताया जाएगा।
5. अगर अपेक्षित व्यक्ति की गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर अनुरोधकर्ता राज्य से अनुच्छेद चौदह में वर्णित दस्तावेजों सहित प्रत्यर्पण का अनुरोध प्राप्त नहीं होता है तो अनन्तिम गिरफ्तारी को रद्द किया जा सकता है। इसे किसी भी अवस्था में ऐसी गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिन से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। किसी भी समय अनन्तिम रिहाई के प्रावधान को निकाला नहीं गया है लेकिन अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य ऐसे सभी उपाय करेगा जिन्हें वह अपेक्षित व्यक्ति को भागने से रोकने के लिए आवश्यक समझता हो।

6. इस रिहाई में उसकी पुनः गिरफ्तारी तथा प्रत्यर्पण का अनुरोध बाद में प्राप्त होने पर प्रत्यर्पण के लिए यह पूर्वाग्रह नहीं होगा कि उसे पहले गिरफ्तार किया जा चुका था।

अनुच्छेद उन्नीस
परस्पर विरोधी अनुरोध

अगर किसी एक अपराध अथवा विभिन्न अपराधों के लिए एक से अधिक राज्यों द्वारा एक साथ प्रत्यर्पण अनुरोध किया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य सभी परिस्थितियों तथा विशेष तौर पर अपराधों की तुलनात्मक गंभीरता तथा किए गए अपराधों के स्थानों, प्रत्यर्पण अनुरोधों की अलग अलग तारीखों, अपेक्षित व्यक्ति की राष्ट्रिकता तथा किसी दूसरे राज्य को बाद में प्रत्यर्पित करने की संभावना को ध्यान में रखकर प्रत्यर्पण के बारे में निर्णय करेगा।

अनुच्छेद बीस
सौंपना

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य प्रत्यर्पण के संबंध में अनुच्छेद चौदह पैरा 1 में वर्णित माध्यमों से अपने निर्णय के बारे में अनुरोधकर्ता राज्य को सूचित करेगा।
2. प्रत्यर्पण अनुरोध को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से रद्द करने के कारण बताए जाएंगे।
3. अगर अनुरोध के बारे में सहमति हो जाती है तो अनुरोधकर्ता राज्य को उस व्यक्ति को सौंपने के स्थान तथा तारीख उस समयवधि के बारे में सूचित किया जाएगा जबसे सौंपने के उद्देश्य से अपेक्षित व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 5 के प्रावधानों के अधीन अगर नियत तारीख को अपेक्षित व्यक्ति को प्राप्त नहीं किया जाता है तो उसे 30 दिन बीत जाने के बाद रिहा किया जा सकता है। अगर इस अवधि के भीतर उसे वहां से नहीं हटाया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य उसी अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने से इंकार कर सकता है।
5. अगर किसी राज्य के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियाँ प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति को सौंपने अथवा प्राप्त करने से रोकती हैं तो उसके बारे में दूसरे पक्ष को बताया जाएगा। दोनों राज्य सहमति से उस व्यक्ति को सौंपने की नई तारीख पर सहमत होंगे तथा इस पर इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 4 के प्रावधान लागू होंगे।

अनुच्छेद इक्कीस
स्थगित अथवा शर्त अभ्यर्पण

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अपेक्षित व्यक्ति के प्रत्यर्पण के अनुरोध पर अपना निर्णय लेने के बाद अपेक्षित व्यक्ति के अभ्यर्पण को स्थगित कर सकता है क्योंकि उस राज्य द्वारा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है अथवा अगर वह पहले ही दोषी है तो उस राज्य के क्षेत्र में उस अपराध से इतर अपराध के लिए सजा दी जा सकती है जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है।

2. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अभ्यर्पण को स्थगित करने की बजाय दोनों राज्यों की परस्पर सहमति द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार अपेक्षित व्यक्ति को अनुरोधकर्ता राज्य को अस्थायी तौर पर सौंप सकता है।

अनुच्छेद बाईस
संपत्ति का हस्तांतरण

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य, जहाँ तक कानून इसकी अनुमति दे, अनुरोधकर्ता राज्य के अनुरोध पर ऐसी संपत्तियों को जब्त और हस्तांतरित कर सकता है जिनकी (क) साक्ष्य के रूप में आवश्यकता हो, अथवा (ख) जो अपराध के परिणामस्वरूप प्राप्त की गयी हो और जो गिरफ्तारी के समय वांछित व्यक्ति के पास पायी गयी हो अथवा जिसका बाद में पता चला हो।

2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित संपत्तियों को तब भी हस्तांतरित किया जाएगा यदि प्रत्यर्पण पर सहमति हुई है और वांछित व्यक्ति की मृत्यु अथवा उसके फरार हो जाने के कारण उसका प्रत्यर्पण नहीं किया जा सका।

3. यदि उक्त संपत्ति अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के क्षेत्र में जब्त किये जाने योग्य है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य लंबित आपराधिक प्रक्रियाओं के संबंध में इस शर्त के साथ इस संपत्ति को रख सकता है अथवा हस्तांतरित कर सकता है कि इसे वापस कर दिया जाएगा।

4. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अथवा तीसरे पक्ष ने उक्त संपत्ति के संबंध में, कोई अधिकार प्राप्त किया है तो इसकी रक्षा की जाएगी। यदि ऐसा कोई अधिकार है तो मुकदमें के पश्चात यह संपत्ति यथा संभव शीघ्र बिना किसी शुल्क के अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को वापस कर दी जाएगी।

अनुच्छेद तेईस
अभिवहन

1. अनुरोध प्रस्तुत करने पर अनुच्छेद 14 में उल्लिखित साधनों द्वारा किसी संविदाकारी राज्य के भूक्षेत्र से अभिवहन की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि संबंधित अपराध को अभिवहन प्रदान करने वाले अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा इसे इस करार के प्रावधानों के अनुसरण में कोई राजनैतिक अथवा शुद्ध सैन्य स्वरूप का अपराध न माना जाए ।
2. अनुच्छेद आठ की परिभाषा के अंतर्गत जिस देश से अभिवहन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, वह अपने राष्ट्रिक के अभिवहन से इंकार कर सकता है ।
3. इस अनुच्छेद के पैरा 4 के प्रावधानों के अधधीन अनुच्छेद चौदह में वर्णित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
4. यदि हवाई परिवहन का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे :

(क) यदि उतारने की मंशा नहीं है तो अनुरोधकर्ता राज्य उस राज्य को अधिसूचित करेगा जिसके भूक्षेत्र के उपर से जहाज जाएगा और प्रमाणित करेगा कि पैरा चौदह में उल्लिखित दस्तावेजों में से एक दस्तावेज विद्यमान है । असमय उतारे जाने के मामले में जैसा कि अनुच्छेद अठारह में प्रावधान किया गया है, यह अधिसूचना अनंतिम गिरफ्तारी के लिए अनुरोध के समान होंगी तथा अनुरोधकर्ता राज्य अभिवहन के लिए एक औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत करेगा ।

(ख) यदि उतारने की मंशा है तो अनुरोधकर्ता राज्य अभिवहन का औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत करेगा ।

अनुच्छेद चौबीस
लागू कानून

प्रत्यर्पण और अनंतिम गिरफ्तारी से संबंधित प्रक्रिया सिर्फ अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानूनों द्वारा शासित होगी ।

अनुच्छेद पच्चीस
प्रत्यर्पण में परस्पर विधिक सहायता

अपने - अपने कानूनों द्वारा अनुमत सीमा तक, प्रत्येक संविदाकारी राज्य उस अपराध के संबंध में, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, एक दूसरे को आपराधिक मामलों में यथासंभव परस्पर सहायता प्रदान करेंगे ।

अनुच्छेद छब्बीस**भाषा**

वर्तमान करार के अनुपालन में संविदाकारी राज्य अपनी - अपनी राष्ट्रीय भाषाओं का प्रयोग करेंगे तथा दस्तावेजों के प्राधिकृत अनूदित रूप अंग्रेजी भाषा में संलग्न करेंगे ।

अनुच्छेद सत्ताइस**व्यय**

1. प्रत्यर्पण के लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के भूक्षेत्र में किया गया व्यय उसी राज्य द्वारा वहन किया जाएगा ।
2. उस राज्य, जिससे अभिवहन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, के भूक्षेत्र में अभिवहन के लिए किये गये व्यय का वहन अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा किया जाएगा ।

अनुच्छेद अट्ठाइस**अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यता**

वर्तमान करार से संविदाकारी राज्यों के उन अधिकारों और बाध्यताओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जो ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों और संधियों से पैदा हुई हैं, जिनके ये राज्य पहले से पक्षकार हैं ।

अनुच्छेद उन्नतीस**अनुसमर्थन और प्रवृत्त होना**

1. यह करार अनुसमर्थन के अध्यक्षीन होगा और अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान - प्रदान किये जाने के 30 दिन बाद प्रवृत्त हो जाएगा ।
2. दोनों में से कोई संविदाकारी पक्ष राजनयिक माध्यमों से सूचना देकर इस करार को समाप्त कर सकता है, और यदि ऐसी सूचना दी जाती है तो सूचना प्राप्ति के छह माह पश्चात् इस करार का प्रभाव समाप्त हो जाएगा ।
3. जिसके साक्ष्य में संविदाकारी राज्यों के पूर्णाधिकारियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किये हैं और अपनी मोहरें लगायी हैं ।

अंकारा में आज जून, 2001 माह के उन्नतीस वें दिन हिंदी, तुर्की एवं अंग्रेजी भाषाओं में संपन्न । सभी तीनों पाठ सामान रूप से प्रभावी हैं । निर्वचन में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा ।

अतः अब प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) के खण्ड -12 के उपखंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एदतद्वारा यह निदेश देती है कि अध्याय-11 को छोड़कर उक्त अधिनियम के उपबंध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तुर्की गणराज्य पर लागू होंगे ।

[फा. सं. टी-413/57/99]

बी. ए. राय, संयुक्त सचिव (सी पी बी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**ORDER**

New Delhi, the 27th February, 2004

Extradition Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Turkey

G.S.R. 174(E).— whereas the Extradition Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Turkey was signed at Ankara, Turkey on 29th June, 2001; and the instruments of ratification were also exchanged at Ankara, Turkey on 18th September, 2003 and which Agreement provides as follows :

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Turkey (hereinafter to be referred to as the "Contracting States"),

Desiring to make more effective the co-operation between the two countries in the suppression of crime by concluding an agreement on extradition,

Have agreed as follows :

Article 1
Duty to Extradite

1. Each Contracting State undertakes to extradite to the other, in the circumstances and subject to the conditions specified in this Agreement, any person who, being accused or convicted of an extradition offence as described in Article 2, committed within the territory of the one State, is found within the territory of the other State, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Agreement.
2. Extradition shall also be available in respect of an extradition offence as described in Article 2 committed outside the territory of the Requesting State but in respect of which it has jurisdiction if the Requested State would, in corresponding circumstances, have jurisdiction over such an offence. In such circumstances the Requested State shall have regard to all the circumstances of the case including the seriousness of the offence.
3. When the offence has been committed outside the territory of the Requesting State, the Requested State shall grant extradition subject to the provisions described in this Agreement if either :
 - (a) the laws of the Requested State provide for the punishment of such an offence committed in similar circumstances; or
 - (b) the offence has been committed by a national of the Requesting State, and that State has jurisdiction, according to laws, to try that person.

Article 2
Extradition Offences

1. Extradition shall be granted in respect of offences punishable under the laws of the Requesting State and of the Requested State by deprivation of liberty for a period of at least one year or by a more severe penalty. Where a conviction and prison sentence have occurred in the territory of the Requesting State, the punishment awarded must have been for a period of at least six months.
2. If the request for extradition includes several separate offences each of which is punishable under the laws of the Requesting State and the Requested State by deprivation of liberty, but of which some do not fulfil the condition with regard to the amount of punishment which may be awarded, the Requested State shall also have the right to grant extradition for the latter offences.

Article 3
Extradition and Prosecution

1. The request for extradition may be refused by the Requested State if the person whose extradition is sought may be tried for the extradition offence in the courts of that State.
2. Where the Requested State refuses a request for extradition for the reason set out in paragraph 1 of this Article, it shall submit the case to its competent authorities so that prosecution may be considered. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any offence of a serious nature under the law of that State.
3. If the competent authorities decide not to prosecute in such a case, the request for extradition shall be reconsidered in accordance with this Agreement.

Article 4
Grounds for Refusal of Extradition

A person may not be extradited if:

1. he has been convicted of an extradition offence, unless he was sentenced to imprisonment or other form of detention for a period of six months or more;
2. he would, if proceeded against in the territory of the Requested State for the offence for which his extradition is requested, be entitled to be discharged under any rule of law of the Requested State relating to previous acquittal or conviction;

3. he has been previously convicted or acquitted in the territory of a third State in respect of the offence for which extradition is requested.

Article 5 **Political Offences**

1. Extradition shall not be granted if the offence in respect of which it is requested is regarded by the Requested Party as a political offence.

2. For the purpose of this Agreement the following offences shall not be regarded as political offence:

- (a) an offence within the scope of the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, opened for signature at the Hague on 16 December, 1970;
- (b) an offence within the scope of the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, opened for signature at Montreal on 23 September 1971;
- (c) an offence within the scope of the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, opened for signature at New York on 14 Dec 1973;
- (d) an offence within the scope of the International Convention against the Taking of Hostages, opened for signature at New York on 18 December 1979;
- (e) murder
- (f) The taking or attempt to take the life of the Head of State or the Head of Government or a member of their families;
- (g) manslaughter or culpable homicide;
- (h) assault occasioning actual bodily harm, or causing injury, maliciously wounding or inflicting grievous bodily harm whether by means of a weapon, a dangerous substance or otherwise;
- (i) the causing of an explosion likely to endanger life or cause serious damage to property;
- (j) the making or possession of an explosive substance by a person who intends either himself or through another person to endanger life or cause serious damage to property;

7-307 I/04-3

- (k) the possession of a firearm or ammunition by a person who intends either himself or through another person to endanger life;
- (l) the use of a firearm by a person with intent to resist or prevent the arrest or detention of himself or another person;
- (m) damaging property whether used for public utilities or otherwise with intent to endanger life or with reckless disregard as to whether the life of another would thereby be endangered;
- (n) kidnapping, abduction, false imprisonment or unlawful detention, including the taking of a hostage;
- (o) incitement to murder;
- (p) any other offence related to terrorism which at the time of the request is, under the law of the Requested State, not to be regarded as an offence of a political character;
- (q) an attempt or conspiracy to commit any of the foregoing offences or participation as an accomplice of a person who commits or attempts to commit such an offence.

3. This Article shall not affect any obligations which the Contracting States may have undertaken or may undertake under any other international convention of a multilateral character.

Article 6 **Military Offences**

Extradition for offences under military law which are not offences under ordinary criminal law is excluded from the application of this Agreement.

Article 7 **Fiscal offences**

Extradition shall be granted in accordance with the provisions of this Agreement for offences of a fiscal character including taxes, duties, customs and foreign exchange.

Article 8
Extradition of nationals

1. The nationals of a Contracting State shall not be extradited to the other Contracting State provided that the Requested State shall submit the case to its competent authorities for prosecution if the act committed is also considered as an offence under the laws of the Requested State.

2. If the Requested State does not extradite its national, it shall at the request of the Requesting State submit the case to its competent authorities in order that proceedings may be taken if they are considered appropriate. For this purpose, the files, information and exhibits relating to the offence shall be transmitted without charge by the means provided for in Article 14. The Requesting State shall be informed of the result of its request.

Article 9
Place of Commission

When the offence for which extradition is requested has been committed outside the territory of the Requesting State, extradition may only be refused if the law of the Requested State does not allow prosecution for the same category of offence when committed outside the latter State's territory or does not allow extradition for the offence concerned, under the terms of this Agreement.

Article 10
Pending Proceedings for the Same Offences

The Requested State may refuse to extradite the person claimed if the competent authorities of that State are already proceeding against him in respect of the offence or offences for which extradition is requested.

Article 11
Non bis in idem

Extradition shall not be granted if final judgement has been passed by the competent authorities of the requested State upon the person claimed in respect of the offence or offences for which extradition is requested. Extradition may be refused if the competent authorities of the Requested State have decided either not to institute or to terminate proceedings in respect of the same offence or offences.

Article 12
Lapse of time

Extradition shall not be granted when the person claimed has, according to the law of the Requesting State, become immune by reason of lapse of time from prosecution or punishment.

Article 13
Capital Punishment

If the offence for which extradition is requested is punishable by death under the law of the Requesting State, and if in respect of such offence the death-penalty is not provided for by the law of the Requested State or is not normally carried out, extradition may be refused unless the Requesting State gives such assurance as the Requested State considers sufficient that the death-penalty will not be carried out.

Article 14
The Request and Supporting Documents

1. The request for extradition under this Agreement shall be made through the diplomatic channel. Other means of communication may also be used after mutual consultation between the two States.

2. The request shall be supported by :

- (a) the original or an authenticated copy of the order of conviction and sentence or the warrant of arrest or other order having the same effect and issued in accordance with the procedure laid down in the law of the Requesting State;
- (b) a statement of the offence(s) for which extradition is requested, the time and place of their commission, their legal description and a reference to the relevant legal provisions;
- (c) a copy of the relevant legal provisions applied to the offence(s);
- (d) as accurate a description as possible of the person claimed, together with any other available information such as his photograph, fingerprints, passport details, etc., which will help to establish his identity and nationality.

3. If the information communicated by the Requesting State is found to be insufficient to allow the Requested State to make a decision the Requested State may request for the necessary supplementary information, which shall be supplied by the Requesting State within one month. This time limit may by mutual consent, be extended for valid reasons.

Article 15 **Evidence**

1. The authorities of the Requested State shall admit as evidence, in any proceedings for extradition, any evidence taken on oath or by way of affirmation, any warrant and any certificate of, or judicial document stating the fact of, a conviction, if it is authenticated :

- (a) (i) in the case of a warrant being signed, or in the case of any original document by being certified, by a judge, magistrate or other competent authority of the Requesting State; and
- (ii) either by oath of some witness or by being sealed with the official seal of the appropriate Minister of the Requesting State; or
- (b) In such other manner as may be permitted by the law of the Requested State.

2. The evidence described in paragraph (1) shall be admissible in extradition proceedings in the Requested State whether sworn or affirmed in the Requesting State or in some third State.

Article 16 **Rule of Speciality**

1. A person who has been extradited shall not be proceeded against, sentenced or detained with a view to the carrying out of a sentence or detention order for any offence committed prior to his surrender other than that for which he was extradited, nor shall he be for any other reason restricted in his personal freedom, except in the following cases:

- (a) When the State which surrendered him consents. A request for consent shall be submitted, accompanied by the documents mentioned in Article 14 and a legal record of any statement made by the extradited person in respect of the offence concerned. Consent shall be given when the offence for which it is requested is itself subject to extradition in accordance with the provisions of this Agreement;
- (b) when that person, having had an opportunity to leave the territory of the State to which he has been surrendered, has not done so within 45 days of his final discharge, or has returned to that territory after leaving it.
- (c) any lesser extradition offence disclosed by the facts proved for the purposes of securing his extradition.

2. When the description of the offence charged is altered in the course of trial proceedings, the extradited person shall only be proceeded against or sentenced in so far as the offence under its new description is shown by its constituent elements to be an offence which would allow extradition.

Article 17

Re-extradition to a Third State

Except as provided for in Article 16, paragraph 1 (b), the Requesting State shall not, without the consent of the Requested State, surrender to a third State a person surrendered to the Requesting State and sought by the said third State in respect of offences committed before his surrender. The Requested State may request the production of the documents mentioned in Article 14.

Article 18

Provisional arrest

1. In case of urgency the competent authorities of the Requesting State may request the provisional arrest of the person sought. *The competent authorities of the Requested State shall decide the matter in accordance with its law.*

2. The request for provisional arrest shall state that one of the documents mentioned in paragraph 2(a) Article 14, exists and that it is intended to send a request for extradition. It shall also state for what offence extradition will be requested and when and where such offence was committed and shall so far as possible give a description of the person sought.

3. A request for provisional arrest shall be sent to the competent authorities of the Requested State either through the diplomatic channel or direct by post or telegraph or through the International Criminal Police Organization (Interpol) or by any other means affording evidence in writing or accepted by the Contracting States.

4. The requesting authority shall be informed without delay of the result of its request.

5. Provisional arrest may be terminated if, within a period of 60 days after arrest, the Requested State has not received the request for extradition and the documents mentioned in Article 14. It shall not, in any event, exceed 90 days from the date of such arrest. The possibility of provisional release at any time is not excluded, but the requested State shall take any measures which it considers necessary to prevent the escape of the person sought.

6. Release shall not prejudice re-arrest and extradition if a request for extradition is received subsequently.

Article 19
Conflicting requests

If extradition is requested concurrently by more than one State, either for the same offence or for different offences, the Requested State shall make its decision having regard to all the circumstances and especially the relative seriousness and place of commission of the offences, the respective dates of the requests, the nationality of the person claimed and the possibility of subsequent extradition to another State.

Article 20
Surrender

1. The Requested State shall inform the Requesting State by the means mentioned in Article 14, paragraph 1, of its decision with regard to the extradition.
2. Reasons shall be given for any complete or partial rejection.
3. If the request is agreed to, the Requesting State shall be informed of the place and date of surrender and of the length of time for which the person claimed was detained with a view to surrender.
4. Subject to the provisions of paragraph 5 of this Article, if the person claimed has not been taken over on the appointed date, he may be released after the expiry of 30 days. If he is not removed within that period, the Requested State may refuse to extradite him for the same offence.
5. If circumstances beyond its control prevent a State from surrendering or taking over the person to be extradited, it shall notify the other State. The two States shall agree to a new date for surrender and the provisions of paragraph 4 of this Article shall apply.

Article 21
Postponed or conditional surrender

1. The Requested State may, after making its decision on the request for extradition, postpone the surrender of the person claimed in order that he may be proceeded against by that State or, if he has already been convicted, in order that he may serve his sentence in the territory of that State for an offence other than that for which extradition is requested.
2. The Requested State may, instead of postponing surrender, temporarily surrender the person claimed to the Requesting State in accordance with conditions to be determined by mutual agreement between the States.

Article 22
Handing Over of property

1. The Requested State shall, in so far as its law permits and at the request of the Requesting State, seize and hand over property: (a) which may be required as evidence, or (b) which has been acquired as a result of the offence and which, at the time of the arrest, is found in the possession of the person claimed or is discovered subsequently.
2. The property mentioned in paragraph 1 of this Article shall be handed over even if extradition, having been agreed to, cannot be carried out owing to the death or escape of the person claimed.
3. When the said property is liable to seizure or confiscation in the territory of the Requested State, the latter may, in connection with pending criminal proceedings, temporarily retain it or hand it over on condition that it is returned.
4. Any rights which the Requested State or third parties may have acquired in the said property shall be preserved. Where these rights exist, the property shall be returned without charge to the Requested State as soon as possible after the trial.

Article 23
Transit

1. Transit through the territory of one of the Contracting States shall be granted on submission of a request by the means mentioned in Article 14, provided that the offence concerned is not considered by the State requested to grant transit as an offence of a political or purely military character having regard to provisions of this Agreement.
2. Transit of a national, within the meaning of Article 8, of a country requested to grant transit may be refused.
3. Subject to the provisions of paragraph 4 of this Article, it shall be necessary to produce the documents mentioned in Article 14.
4. If air transport is used, the following provisions shall apply:
 - (a) when it is not intended to land, the requesting State shall notify the State over whose territory the flight is to be made and shall certify that one of the documents mentioned in Article 14, exists. In the case of an unscheduled landing, such notification shall have the effect of a request for provisional arrest as provided for in Article 18, and the requesting State shall submit a formal request for transit;
 - (b) when it is intended to land, the Requesting State shall submit a formal request for transit.

Article 24
Applicable Laws

The procedure with regard to extradition and provisional arrest shall be governed solely by the laws of the Requested State.

Article 25
Mutual Legal Assistance in Extradition

Each Contracting State shall, to the extent permitted by its law, afford the other the widest measure of mutual assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested.

Article 26
Language

While complying with the present Agreement, the Contracting States shall use their national language(s), attaching therewith authenticated translated version of the documents into English language.

Article 27
Expenses

1. Expenses incurred in the territory of the Requested State by reason of extradition shall be borne by that State.
2. Expenses incurred by reason of transit through the territory of a State requested to grant transit shall be borne by the Requesting State.

Article 28
International Obligations

The present Agreement shall not affect the rights and obligations of the Contracting States arising from International Conventions/Treaties to which they are parties.

Article 29
Ratification and Entry into Force

1. This Agreement shall be subject to ratification and shall enter into force 30 days after the exchange of instruments of ratification.

2. Either of the Contracting States may terminate this Agreement at any time by giving notice to the other through the diplomatic channel; and if such notice is given the Agreement shall cease to have effect six months after the receipt of the notice.

3. In witness whereof, the respective plenipotentiaries of the Contracting States have signed this Agreement and have affixed hereto their seals.

Done at Ankara on this 29th day of June 2001 in triplicate, in Hindi, Turkish and English languages, all three texts having the same force. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 12 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter II, would apply to the Republic of Turkey with effect from the date of publication of this notification.

[F. No. T. 413/57/99]

B. A. ROY, Jt. Secy. (CPV)